

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कांकेर वनमंडल के नरहरपुर/सरोना परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 158,207,211,153,127,128 एवं नारंगी वन खण्ड 479, 480, 472,427,478 में से परियोजना हेतु प्रस्तावित रकबा 39.0869 हेक्टेयर में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् रोड़ निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक **27.12.2021** को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक—xi के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में तिन्सा, हल्दू, भेलवा, सेहरा, अमलतास, घोटिया, शीशम, मुण्डी, सेमल, धामन, खैर, बेल, खम्हार, अर्जुन, पीपल, गिलोय, चिल प्रजाति के वृक्ष तथा सांभर, चौसिंगा, जंगली कुत्ता, बाघ (शेर), तेन्दूआ, भालू व पक्षियों में मोर, बूलबूल, किंगफिशर, कठफोड़वा, तोता, मैना, लावा एवं सर्प में धामन, करैत, नाग, गेहूवन, अजगर, अहिराज प्रजाति के वन्य प्राणी दुर्लभ/संकटापन्न स्थिति में है। बिन्दु क्रमांक—xii के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में नरहरपुर परिक्षेत्र के ग्राम शामतरा के अंतर्गत देवस्थल सकरहीनपाट तथा वर्तमान में मौजूद सड़क के किनारे मोहनीबाबा का मूर्ति स्थापित है।

परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी छ.ग. के द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् रोड़ निर्माण हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 39.0869 हेक्टेयर परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 158,207,211,153,127,128 एवं नारंगी वन खण्ड 479, 480, 472,427,478 में 15341 नग वृक्ष मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.5 से 0.6 तक तथा स्थल गुण श्रेणी III, IVA, IVB वन विद्यमान है तथा प्रस्तावित स्थल की समाकृति समतल एवं पहाड़ी है, जिसकी भौमिकी आरकियन तथा मृदा रेतलीडोमट, चिकनीडोमट, लाल रेटेराईट एवं जलोढ मृदा के है। नरहरपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास—III (Tropical dry deciduous Forest) तथा सरोना परिक्षेत्र के अंतर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास—I (Tropical Moist deciduous Forest) है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् रोड़ निर्माण किये जाने से छत्तीसगढ़ राज्य से विशाखापट्टनम् आवागमन के लिए सुविधा होगी तथा 6 लेन सड़क निर्माण किये जाने से सड़क दुर्घटना होने की संभावना कम होगी। चूकि कार्य राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।



(राजू अगसिमनी)

भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक,

कांकेर वृत्त, कांकेर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केशकाल वनमंडल के बड़ेराजपुर परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1151, 1152, 1154, 1169 व संरक्षित वन पी. 1335 एवं नारंगी वन खण्ड ओ.ए. 1512, 1522 में से परियोजना हेतु प्रस्तावित रकबा 41.2862 हेक्टेयर में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् रोड़ निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक **27.12.2021** को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक—xi के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में तिन्सा, हल्दू, भेलवा, सेहरा, अमलतास, घोटिया, शीशम, मुण्डी, सेमल, धामन, खैर, बेल, खम्हार, अर्जुन, पीपल, गिलोय, चिल प्रजाति के वृक्ष तथा सांभर, चौसिंगा, जंगली कुत्ता, बाघ (शेर), तेन्दूआ, भालू व पक्षियों में मोर, बूलबूल, किंगफिशर, कठफोड़वा, तोता, मैना, लावा एवं सर्प में धामन, करैत, नाग, गेहूवन, अजगर, अहिराज प्रजाति के वन्य प्राणी दुर्लभ/संकटापन्न स्थिति में है। बिन्दु क्रमांक—xii के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई संरक्षित/पुरातत्वीय/पारम्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है।

परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी छ.ग. के द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् रोड़ निर्माण हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 41.2862 हेक्टेयर परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1151, 1152, 1154, 1169 व संरक्षित वन पी. 1335 एवं नारंगी वन खण्ड ओ.ए. 1512, 1522 में 9544 नग वृक्ष मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.4 से 0.6 तक तथा स्थल गुण श्रेणी III, IVA, वन विद्यमान है तथा प्रस्तावित स्थल की समाकृति समतल एवं पहाड़ी है, जिसकी भौमिकी आरकियन तथा मृदा रेतलीडोमट, चिकनीडोमट, लाल रेटेराईट है। बड़ेराजपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास—I (Tropical Moist deciduous Forest) है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् रोड़ निर्माण किये जाने से छत्तीसगढ़ राज्य से विशाखापट्टनम् आवागमन के लिए सुविधा होगी तथा 6 लेन सड़क निर्माण किये जाने से सड़क दुर्घटना होने की संभावना कम होगी। चूँकि कार्य राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।



(राजू अगसिमनी)

भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक,

कांकेर वृत्त, कांकेर